(6)

संख्या–298 / वि0 अनु0–5 / मनो0कर / 30 / 2002

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून :: दिनांक :: 5 दिसम्बर 2002

विषयः– केबिल आपरेटरों तथा केबिल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु समिति का गठन।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केबिल आपरेटरों तथा केबिल उपभोक्ताओं की प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के निवारण हेतु राज्यपाल महोदय केबिल नेटवर्क के सभी कन्ट्रोल केन्द्रों को आधार मानकर उनके क्षेत्र के लिये एक शिकायत निवारण समिति गठित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उक्त समिति में निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे:–

(1) केबिल आपरेटर तथा ऐसे कन्ट्रोल रूम से सम्बद्ध सभी फैन्चाइजी आपरेटर्स – सदस्य
(2) क्षेत्र के उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधि – सदस्य
(3) क्षेत्र के थाना–प्रभारी का प्रतिनिधि – सदस्य
(4) सम्बन्धित केबिल आपरेटर के अधिकार क्षेत्र वाले मनोरंजन कर निरीक्षक – संयोजक

3– समिति के क्रमाक–3 पर प्रतिनिधित को नामित करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा तथा वे अन्य सभी सदस्यों का नाम भी सम्मिलित करके समिति के गठन के आदेश निर्गत करेंगे।

4– यह समिति प्रत्येक माह बैठक करके समस्यायों तथा शिकायतों का निराकरण करेगी तथा यथावश्यक अपनी संस्तुतियॉ जिला मनोरंजन कर अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

5– राज्य संयोजक के रुप में श्री बी0एल0 थापा, मनोरंजन कर अधिकारी, देहरादून को नामित किया जाता है, जो प्रत्येक माह की 15 तारीख तक समिति द्वारा किये गये कार्यो की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

संख्या–298(1) / वि0अनु0–5 / मनो0 कर / 30 / 2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– आयुक्त, कर, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
5/12/2002

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

1/8.50
05.12.02

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

आयुक्त कर
उत्तरांचल, देहरादून